बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, सैदपुर, पटना 800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Saidpur, Patna 800 004

पत्रांकः Acctts/69/2019-20/ 1140 दिनांकः 20/02/2020

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान),
बिहार शिक्षा परियोजना,
सभी जिले।

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखे का अन्तिमीकरण (Accounts Finalisation) के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2019-20 दिनांक 31.03.2020 को समाप्त हो जायेगा। राज्य/जिला स्तर पर लेखा पुस्तिकाओं के संधारण एवं वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कारण कतिपय वित्तीय प्रावधान आवश्यक होते हैं। इसलिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के वैधानिक अंकेक्षण हेतु निम्नांकित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित होगी :-

1. **नगद राशि के भौतिक सत्यापन के संबंध में** :- प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मार्च को सभी प्राप्ति एवं भुगतानों की प्रविष्टि करने के उपरान्त हाथ में नगद शेष राशि का भौतिक सत्यापन किया जाना **आदेशात्मक** है। **नगद राशि का सत्यापन प्रत्येक कार्यक्रम यथा समग्र शिक्षा, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, बिहार सरकार के राज्य योजना मद् एवं अन्य विभाग/कार्यालय से प्राप्त मद् के संबंध में अलग-अलग की जायेगी।**

2. **बैंक समाधान विवरणी** :- राज्य एवं जिले के लेखा पदाधिकारी/लेखापाल यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार शिक्षा परियोजना के सभी बैंक खाताओं का पासबुक/बैंक विवरणी दिनांक 31 मार्च, 2020 तक का संबंधित बैंक शाखा से सत्यापित कर प्राप्त कर लें। सभी बैंक खाताओं का दिनांक 31.03.2020 को बैंक में शेष राशि से संबंधित बैंक प्रबंधक से **"शेष संपुष्टि प्रमाण-पत्र" (Balance Confirmation Certificate)** प्राप्त कर ली जाए। इसके आधार पर प्रत्येक बैंक खाता का अलग-अलग बैंक समाधान विवरणी तैयार कर ली जाए। बैंक समाधान विवरणी में संचित सूद की राशि एवं **"Cheque Issued but not presented for payment"** में तीन माह (90 दिन) के पूर्व की राशि को उचित मद् में Entry/Reverse करते हुए प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है। बैंक समाधान विवरणी में Outstanding Entry को वित्तीय वर्ष 2019-20 में हीं समाप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

3. **अग्रिम समायोजन** :- वित्तीय वर्ष 2019-20 समाप्ति के उपरान्त विभिन्न गतिविधियों की अग्रिम राशियों का ईकाईवार एवं वर्षवार विवरणी तैयार किया जाये। वित्तीय वर्ष 2019-20 तक अग्रिम के विरूद्ध प्राप्त अभिश्रवों को आवश्यक जाँचोंपरान्त समायोजन किया जाना आवश्यक होगा। जिला कार्यालय, (स्थापना), कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय, प्रखंड संसाधन केन्द्र, संकुल संसाधन केन्द्र एवं विद्यालय शिक्षा समितियों को विभिन्न प्रकार के

☎: 0612-2667152, 2667163, 2667168 Fax: 0612-2667190 Email:bsppac@gmail.com, Website:www.bepcssa.in

गतिविधियों के विरूद्ध दिये अग्रिम राशि का समायोजन वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुनिश्चित किया जाये। समग्र शिक्षा के Manual of Financial Management and Procurement के पारा 4.21 एवं कार्यालय पत्रांक **Acctts/130/2013-14/Part-I/108 दिनांक 07.01.2020** में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर दिनांक 31.03.2020 तक के अग्रिमों का पूर्ण समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4. **भंडार का भौतिक सत्यापन** :- समग्र शिक्षा एवं अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत भंडार में शेष स्थायी संपत्तियों (Fixed Assets)/उपभोज्य सामग्रियों (Consumable Article)/ व्यवहार में लाई जा रही स्थायी संपत्तियों का अलग-अलग कर इसकी विवरणी अवश्य रूप से तैयार किया जाये। स्थायी एवं उपभोज्य सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन के लिए एक स्थानीय समिति अवश्य गठित की जाये। गठित समिति भौतिक संपत्ति का मिलान स्थायी एवं उपभोज्य संपत्ति रजिस्टर से करने के पश्चात हस्ताक्षरित सत्यापन प्रतिवेदन देंगे। राज्य कार्यालय के पत्रांक 5541 दिनांक 19.09.2018 के निदेशानुसार पुराने रद्दी एवं अनुपयोगी क्षतिग्रस्त सम्पति का भौतिक सत्यापन के प्रमाण-पत्र के आधार पर उपलेखन कराया जाय। लेखा पुस्तिका में Fixed Assets में अंकित सामग्री के राशि को भंडार में अंकित पंजी रजिस्टर के राशि का मिलान कर लें।

5. **अदुत्त दायित्वों (Outstanding Liabilities)** :- वित्तीय वर्ष 2019-20 का जो भी वित्तीय दायित्व शेष रह जाते हैं। उसकी दायित्व पंजी में प्रविष्टि करते हुए विपत्र प्राप्ति पंजी की विवरणी बनाकर इसका प्रावधान लेखा पुस्तिकाओं में प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है। लेखा पदाधिकारी/लेखापाल यह पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे कि पूर्व के कार्यदेशों/समाग्री क्रय अथवा विपत्रों प्राप्त होने के पश्चात या कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र जो भी वित्तीय दायित्व पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया जा सका हो, इसके लिए प्रावधान कर लिया जाये ताकि चालू वित्तीय में प्रावधानों के विरूद्ध व्ययन कर इसका भुगतान किया जा सके। कार्यालय पत्रांक **Acctts/69/2019-20/402 दिनांक 22.01.2020** में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. **वार्षिक कार्य योजना एवं बजट** :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उन्हीं गतिविधियों के संचालन हेतु की जा रही है जिसे वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है तथा जिनके लिए बजट प्रावधान उपलब्ध है। किसी भी स्थिति में वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट 2019-20 में उपबंधित राशि से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए। भुगतान से पूर्व इसका सत्यापन कर लिया जाये। राज्य से जिलों को Elementary Education, Secondary Education के General Component एवं Capital Component हेतु राशि अंतरित किया गया है। ऐसी स्थिति में Elementary Education एवं Secondary Education के अंतर्गत प्रावधानित गतिविधियों में ही राशि व्यय किया जाय। एक-दूसरे गतिविधियों में राशि व्यय होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पर वित्तीय नियमानुसार आवश्यक कार्यवायी किया जायेगा।

7. **क्रय प्रक्रियाओं का अनुपालन** :- सामग्रियों के क्रय के निर्णय विहित प्रक्रिया (Prescribed Procedure) के तहत पूरी पारदर्शिता के साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा ही लिया जाना चाहिए। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वित्तीय प्रबंधन एवं क्रय पर अधिप्राप्ति में सम्बद्ध प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।

8. **लेखा पुस्तिकाओं एवं पंजी के संधारण के संबंध में** :- निम्नलिखित लेखा पुस्तिकाओं एवं पंजी राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में नियमित रूप से संधारित किया जाना चाहिए एवं अद्यतन स्थिति में ही उपलब्ध रहना चाहिए :-

(i) रोकड़बही (Cash Book)
(ii) बैंक बही (Bank Book)
(iii) चेक निर्गत पंजी (Cheque Issue Register)
(iv) दायित्व पंजी (Liabilities Register)
(v) बिल पंजी (Bill Inward Register)
(vi) अनुदान/राशि प्राप्ति पंजी (Grant/Fund Receipt Register)
(vii) चेक बुक पंजी (Cheque Book Register)
(viii) विद्यालय शिक्षा समितियों को दिये गये अग्रिम राशि एवं इसके विरूद्ध प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र पंजी।
(ix) गाड़ियों का लॉग बुक।
(x) पत्रों का आगत एवं निर्गत पंजी।
(xi) भंडार पंजी (Stock Register)/उपभोज्य सामग्रियों/प्रकाशन सामग्रियों के लिए अलग-अलग।
(xii) स्थायी सम्पत्ति पंजी (Fixed Assets Register)
(xiii) आर्थिक चिट्ठा में असैनिक कार्य संबंधी राशि का पंजी (Civil Construction Material) संधारित करना।

9. **अभिश्रव का संधारण** :- प्रत्येक कार्यक्रम का सभी भुगतान अथवा प्राप्ति से संबंधित अभिश्रवों की रक्षी संचिका (Guard File) क्रमवार संधारित किया जाना चाहिए। अभिश्रवों के साथ सभी विपत्र को सक्षम पदाधिकारी की वित्तीय स्वीकृति संलग्न रहना चाहिए।

10. **महालेखाकार/आन्तरिक अंकेक्षण/वैधानिक अंकेक्षण की आपत्तियों का निराकरण** :- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान)/लेखा पदाधिकारी यह आश्वस्त होंगे कि पूर्व के सभी अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई कंडिकाओं के आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है। इस संबंध में अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई सभी बिन्दुओं पर एक अनुपालन प्रतिवेदन परियोजना प्रबंधन का मंतव्य स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए इसके साक्ष्यों के साथ अंकेक्षण द्वारा माँगे जाने पर अंकेक्षक को प्रस्तुत करें।

☎: 0612-2667152, 2667163, 2667168 Fax: 0612-2667190 Email:bsppac@gmail.com, Website:www.bepcssa.in

11. अन्य :–

(i) वित्तीय वर्ष 2019-20 के रोकड़ पंजी का बैंक लेखा के अनुरूप अंतिम शेष करते हुए उस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान) एवं लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के हस्ताक्षर के पश्चात छाया प्रति दिनांक 03.04.2020 तक राज्य कार्यालय को E-mail के माध्यम से प्रेषित करें।

(ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 का अंकेक्षित तलपट से अंतिम शेष का वित्तीय वर्ष 2019-20 का प्रारंभिक शेष से मिलान अवश्य रूप से कर ली जाए।

(iii) राज्य कार्यालय द्वारा प्रेषित Debit Note/Credit Note एवं जिला कार्यालयों द्वारा प्रेषित Debit Note/Credit Note के आधार पर संबंधित लेखा पुस्तिकाओं के गतिविधि में प्रविष्टि करना सुनिश्चित किया जाये।

(iv) सभी कार्यक्रमों बिहार सरकार सहित का तलपट सतत् अंकेक्षकों से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर दिनांक 29.04.2020 तक राज्य स्तरीय कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(v) वैधानिक कटौती यथा आयकर अधिनियम और वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत श्रोत पर कटौती, Royality, Labour Cess एवं Professional Tax etc. का ससमय निर्धारित तिथियों को जमा एवं उसका Return File सुनिश्चित करें।

(vi) वित्तीय वर्ष 2019-20 में Fixed Assets के अनुसार राशि को पूंजीगत किया जाये।

(vii) कार्यालय पत्रांक **Acctts/87/2012-13/Part-III/340 दिनांक 14.01.2019 एवं शुद्धि–पत्र संख्या 372 दिनांक 15.01.2019** के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान एवं कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के संचालित बचत बैंक खाता को बन्द करने संबंधि आदेश का अनुपालन 31.03.2020 के पूर्व सुनिश्चित किया जाय।

(viii) कार्यालय पत्रांक **Acctts/87/2012-13/Part-III/373 दिनांक 15.01.2019** के द्वारा राज्य सरकार के राज्य योजना मद्, UNICEF एवं जिले के अन्य विभाग से प्राप्त राशि की अव्यवहरित राशि मूल और अर्जित ब्याज को राज्य कार्यालय एवं अन्य विभागों को वापस करने संबंधित अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान एवं भुगतान की गयी राशि के बुकिंग के संबंध में निर्गत पत्र संख्या **TE/07/2018-19/7157 दिनांक 10.12.2018** का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वार्षिक कार्य–योजना एवं बजट 2019-20 के अनुरूप किया जाय।

☎: 0612-2667152, 2667163, 2667168 Fax: 0612-2667190 Email:bsppac@gmail.com, Website:www.bepcssa.in

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, सैदपुर, पटना 800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Saidpur, Patna 800 004

(x) समग्र शिक्षा के Mannual of Financial & Procurement के कण्डिका संख्या 3.5.7 एवं 5.9.2 के अनुसार सभी ईकाईयों का पंजीयन एवं आय-व्यय का प्रविष्टि PFMS के Web - Portal पर किया जाना है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में किए गये भुगतान एवं प्राप्ति का शत-प्रतिशत प्रविष्ट करना सुनिश्चित किया जाय।

उपर्युक्त के आलोक में आप सुनिश्चित करें कि सभी बिन्दुओं पर अनुपालन की कार्रवाई गंभीरता से की गई है ताकि लेखा पुस्तिकाओं का संधारण वित्तीय लेन-देन पर वित्तीय वर्ष 2019-20 का वैधानिक अंकेक्षकों के द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं हो। इन कार्यों में शिथिलता निश्चित रूप से अंकेक्षकों को आपत्तियों के लिए एक आमंत्रण होगा जो खेदजनक बात होगी।

इसे उच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन
20/4/2020
(संजय सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक : Acctts/69/2019-20/ 1140 **दिनांक:** 20**/02/2020**

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी/लेखा पदाधिकारी/लेखापाल, सभी जिले/मुख्य लेखा पदाधिकारी, (प्रभारी)/प्रशासी पदाधिकारी/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/Concurrent Audit से संबंधित सभी Zone के Chartered Accountants **1. M/s Khetan Rajesh Kumar & Co.,** C.A., 203, Adharshila Complex, South Gandhi Maidan, Patna - 800001. **2. M/s Dinesh K. Yadav & Associates,** C.A, M-4, Narayan Place, Behind Punjab & Sindh Bank 42, Fraser Road, Patna - 800001. **3. M/s P. Jyoti & Co.,** C.A, 6/7, First Floor, Dukhan Ram Plaza, Exhibition Road, Patna - 800001. **4. M/s Barun & Co.,** C.A, 591, Mitra Compound, Patna - 800001. **5. M/s Subodh Goel & Co.,** C. A., 202, Rani Plaza, Exhibition Road, Patna - 800001. **6. M/s R.N. Mishra & Co.** C.A. 507, Verma Cenre, Boring Road Crossing, Patna - 800001. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/4/2020
राज्य परियोजना निदेशक

☎: 0612-2667152, 2667163, 2667168 Fax: 0612-2667190 Email:bsppac@gmail.com, Website:www.bepcssa.in